रक्षा मंत्रालय
संयुक्त सचिव एवं मुप्रअ का कार्यालय

स से मु/ अं से सं एसोसिएशनों को सी सी एस (आर एस ए) नियमावली, 1993 के अंतर्गत मान्यता प्रदान करना

1. इस कार्यालय के सम संख्यक अं वि नोट दिनांक 22 नवम्बर 2017 एवं दिनांक 05 जनवरी 2018 के संदर्भ में।

2. उक्त अं वि नोट के द्वारा सशस्त्र सेना मुख्यालय/अंतर सेवा संगठन की मान्यता प्राप्त/गैर मान्यता प्राप्त/नवगठित सेवा एसोसिएशनों से कें सि से आर एस ए नियमावली, 1993 के अंतर्गत मान्यता प्रदान करने/बढाने के लिए आवेदन मांगे गए थे।

3. निम्नलिखित एसोसिएशनों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों की जॉच की गई एवं उन्हें कें सि से (आर एस ए) नियमावली, 1993 एवं का. एवं. प्रशि. विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप पाया गया :-

(i) स से मु सिविल सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में सीधी भर्ती वाले कार्मिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली **स से मु सिविल सेवा (सीधी भर्ती राजपत्रित) अधिकारी एसोसिएशन।**

(ii) स से मु/अं से सं के सभी समूह क अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली **स से मु सिविलियन अधिकारी एसोसिएशन।**

(iii) स से मु सिविल सेवा के अनुभाग अधिकारी एवं उससे उच्च पदों के सभी अधिकारियों (अनुभाग अधिकारी ग्रेड में एलडीसीई के आधार पर उनकी पदोन्नति के बाद) का प्रतिनिधित्व करने वाली **स से मु सिविल सेवा (एलडीसीई) अधिकारी एसोसिएशन।**

(iv) स से मु सिविल सेवा के नियमित अथवा अस्थाई आधार पर अथवा सभी भर्ती नियमों/सरकारी अनुदेशों के किन्हीं अन्य प्रावधानों के अंतर्गत पदोन्नत अनुभाग अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली **स से मु सिविल सेवा के अनुभाग अधिकारी (विभागीय पदोन्नत) एसोसिएशन।**

(v) स से मु/अं से सं में नियोजित सभी आशुलिपिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली **स से मु अशुलिपिक एसोसिएशन।**

(vi) स से मु के सभी ईडीपी राजपत्रित अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली **स से मु ईडीपी राजपत्रित अधिकारी एसोसिएशन।**

(vii) सीधी भर्ती सहायक अनुभाग अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली **स से मु सहायक अनुभाग अधिकारी (सीधी भर्ती) एसोसिएशन।**

(viii) सभी निदेशक (राभा), संयुक्त निदेशक (राभा), उप निदेशक (राभा), सहायक निदेशक (राभा), वरिष्ठ अनुवादक (E/H) और कनिष्ठ अनुवादक (E/H) का प्रतिनिधित्व करने वाली **स से मु राजभाषा सेवा कैडर एसोसिएशन।**

(ix) स से मु लाइब्रेरी कैडर के सभी नियमित सिविलियन कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली **स से मु लाइब्रेरियन एसोसिएशन।**

(x) ईडीपी के सभी सिविलियन कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली **स से मु ई डी पी कर्मचारी एसोसिएशन**।

(xi) स से मु/अं से सं के सभी पदोन्नत सहायक अनुभाग अधिकारियों, वरिष्ठ सचिवालय सहायकों तथा कनिष्ठ सचिवालय सहायकों (सीधी भर्ती) का प्रतिनिधित्व करने वाली **स से मु अराजपत्रित कर्मचारी एसोसिएशन**।

(xii) स से मु/अं से सं के सभी पदोन्नत सहायक अनुभाग अधिकारियों, वरिष्ठ सचिवालय सहायकों तथा कनिष्ठ सचिवालय सहायकों का प्रतिनिधित्व करने वाली **स से मु एसोसिएशन**।

(xiii) स से मु/अं से सं के सभी पदोन्नत सहायक अनुभाग अधिकारियों, वरिष्ठ सचिवालय सहायकों तथा कनिष्ठ सचिवानय सहायकों का प्रतिनिधित्व करने वाली **स से मु कर्मचारी एसोसिएशन**।

(xiv) स से मु/अं से सं के सभी कनिष्ठ सचिवालय सहायकों (विभागीय पदोन्नत) का प्रतिनिधत्व करने वाली **स से मु कनिष्ठ सचिवालय सहायक (डीपी) कर्मचारी एसोसिएशन**।

(xv) रक्षा मुख्यालय के सभी विभागीय कैंटीनों के कर्मचारियों का प्रतिनिधत्व करने वाली **स से मु कैंटीन कर्मचारी एसोसिएशन**।

(xvi) स से मु/अं से सं के सभी वर्ग 'ग' (एमटीएस) सिविलियन कर्मचारी का प्रतिनिधत्व करने वाली **स से मु/अं से सं वर्ग 'ग' (एमटीएस) सिविलियन कर्मचारी एसोसिएशन**।

(xvii) स से मु/अं से सं के सभी वर्ग 'ग' (एमटीएस) सिविलियन कर्मचारी का प्रतिनिधत्व करने वाली **स से मु/अं से सं वर्ग 'ग' (एमटीएस) कर्मचारी एसोसिएशन**।

4. उपर्युक्त सेवा एसोसिएशनों से अब अपेक्षा की जाती है कि वे मान्यता प्रदान किए जाने के लिए जॉच पद्धति के अंतर्गत सदस्यता के सत्यापन के लिए अपने सदस्यों के वेतन पत्रकों से सदस्यता अभिदान की कटौती के लिए इस नोट के परिशिष्ट –1 में दिए गए प्रारूप में प्राधिकार पत्र(AL) प्रस्तुत करें। सदस्यता सत्यापन की प्रकिया आने वाले पैराग्राफों में दी गई है।

5. किसी भी ससेमु कर्मचारी, जो उपर पैरा 3 में वर्णित किसी भी एसोसिएशन का सदस्य बनने का इच्छुक है, को अपने वेतन पत्रक से एसोसिएशन के लिए अभिदान की कटौती हेतु निम्नलिखित कार्रवाई करनी होगी :–

(i) संबंधित एसोसिएशन के पक्ष में अपने वेतन पत्रक में से सदस्यता अभिदान की कटौती के लिए संबंधित एसोसिएशन को इस नोट के परिशिष्ट –1 पर संलग्न प्रारूप में लिखित सहमति सूचित करें। प्राधिकार पत्र के सभी स्तम्भ आवश्यक है, अधूरे भरे गए प्राधिकार पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। वार्षिक अभिदान कटौती के लिए सहमति उसमें बदलाव अथवा वापस लेने तक मान्य होगी। किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत किए गए प्राधिकार पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

(ii) कोई ससेमु कर्मचारी एक समय में केवल एक एसोसिएशन का सदस्य बन सकता है। यदि कोई कर्मचारी एक से अधिक एसोसिएशनों के पक्ष में अभिदान कटौती के लिए प्रधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करता है तो ऐसे सभी एसोसिएशनों के लिए उसके आवेदन आमान्य माने जाएंगे।

(iii) कर्मचारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत प्रधिकार पत्र प्राप्त किए जाने पर संबंधित एसोसिएशन के अध्यक्ष /महासचिव कर्मचारी के प्राधिकार पत्र को हस्ताक्षरकर्ता का नाम एवं एसोसिएशन में धारित

पद स्पष्ट रूप से दर्शाने वाले एसोसिएशन की अधिकारिक मुहर लगाकर प्रतिहस्ताक्षरित कर कर्मचारी के सदस्यता की पुष्टि करेंगे।

(iv) एसोसिएशन प्राधिकार पत्र की एक प्रति अपने पास रखेगी एवं प्राधिकार पत्र की मूल प्रति निम्नलिखित प्रारूप में वेतन समूहवार (अर्थात मुप्रअ कार्यालय नौसेना मुख्यालय, वायुसेना मुख्यालय, आदि में प्रशासन अनुभाग) सदस्यों की सूची की दो प्रतियों में मुप्रअ/कल्याण(जेसीएम) अनुभाग को 22 मई 2018 को 1700 बजे तक सत्यापन के लिए भेज देगी । प्राधिकार पत्र को मुप्रअ/कल्याण (जेसीएम) अनुभाग में जमा करते समय प्राधिकार पत्र देने वाले सदस्यों की सूची जमा कराना भी आवश्यक है तथा प्रत्येक प्राधिकार पत्र पर कर्मचारियों की सूची के अनुसार क्रम संख्या दर्ज होनी चाहिए।

एसोसिएशन का नाम

क्रम सं	आईडी सं/ कर्मचारी संख्या	नाम एवं पदनाम	जन्म तिथि	वर्तमान कार्यालय/ शाखा/निदेशालय	वेतन समूह/ डीडीओ

(v) **नियत तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले प्राधिकार पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।**

(vi) **प्राधिकार पत्र के सभी स्तम्भ उचित रूप से भरे जाने चाहिए। अधुरा भरा गया प्राधिकार पत्र अमान्य माने जाएंगे।**

6. एसोसिएशनों से अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त करने पर मुप्रअ/कल्याण (जेसीएम) अनुभाग जांच पद्धति के अनुसार उनका सत्यापन करेगा एवं वार्षिक अभिदान की वसूली के लिए संबंधित डीडीओ के पास भेज देगा।

7. वार्षिक अभिदान की कटौती के पश्चात संबंधित डीडीओ, मुप्रअ/कल्याण (जेसीएम) अनुभाग को इसके बारे में सूचित करेंगे। सूचना के आधार पर मुप्रअ/कल्याण (जेसीएम) अनुभाग संबंधित एसोसिएशन को मान्यता प्रदान करने के मामले पर कार्रवाई करेगा।

8. सदस्यता अभिदान के रूप में काटी गई राशि को डीडीओ द्वारा एसोसिएशन के बैंक खाते में जमा करा दिया जाएगा एवं इसकी सूचना मुप्रअ/कल्याण (जेसीएम) अनुभाग एवं संबंधित एसोसिएशनों को दी जाएगी।

9. तदनुसार उपर्युक्त पैरा 3 में वर्णित सभी एसोसिएशनों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित कार्रवाइयां करते हुए उन्हें मान्यता प्रदान करने/अवधि बढ़ाने के कार्य में भाग लें एव सहयोग प्रदान करें:–

(i) अपने सदस्यों से उनके वेतनपत्रक से सदस्यता अभिदान की कटौती के लिए प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करें।

(ii) सुनिश्चित करें कि प्राधिकार पत्र निर्धारित प्रारूप में हो। प्राधिकार पत्र के सभी स्तम्भ आवश्यक हैं, अतः प्राधिकार पत्र का कोई भी स्तम्भ खाली न रहे।

(iii) सुनिश्चित करें कि प्राधिकार पत्र भेजने से पहले प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया हो।